

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर 2010—आश्विन 2, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. एफ 24-7-2007-एक-10.—जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, जिला रीवा के जे. पी. सीमेंट फैक्ट्री परिसर में दिनांक 22 सितम्बर 2007 को हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में, जाँच आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 में, शब्द “सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दमोह”, के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक “सुश्री सुषमा खोसला, प्रमुख रजिस्ट्रार (न्यायिक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. वर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्र. एफ 24-7-2007-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 24 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. वर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 24th September 2010

No. F 24-7-2007-I-10.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 1952), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even No. dated 31st October, 2007 regarding the constitution of Inquiry Commission in the incidence of firing in the premises of J. P. Cement Factory, District Rewa on 22nd September, 2007 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in para 3 for the words “Ms. Sushma Khosla, District and Sessions Judge, Damoh”, the words and bracket “Ms. Sushma Khosla, Principal Registrar (Judicial), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. VERMA, Addl. Secy.